


आख्या-प्रारूप

आई0जी0आर0एस0 सं0	60000250111659		
शिकायत से सम्बन्धित विभाग-	ऊर्जा विभाग		
शिकायतकर्ता का नाम-श्री योगी एम0पी0 सिंह	मोबाइल नम्बर-7379105911		
निस्तारणकर्ता अधिकारी/कार्मिक का नाम-इं0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	पदनाम-अधिशायी अभियन्ता		
	मोबाइल नम्बर-9450963598		
निस्तारण का दिनांक-	06.06.2025		
शिकायत संक्षिप्त रूप में-	संक्षिप्त निस्तारण आख्या		
श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी सुरेकापुरम कॉलोनी श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ महादेव मन्दिर, रीवा रोड, पो0-संगमोहाल, मीरजापुर द्वारा उपभोक्ता श्री महेश प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के संयोजन सं0 2704668219 एवं श्री केशव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रताप सिंह के संयोजन सं0 8667726000 पर आर्मर्ड केबल लगाने हेतु शिकायत किया गया है।	(यदि आवश्यक हो विस्तृत आख्या अलग से संलग्न कर दें, परन्तु संक्षिप्त निस्तारण आख्या यहाँ अवश्य उल्लेखित करें) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयोजन सं0 2704668219 एवं 8667726000 पर जी0एम0आर0 कम्पनी के प्रतिनिधि दिनांक 29.05.2025 को आर्मर्ड केबल लगाने हेतु गये थे, परन्तु उक्त उपभोक्ताओं के द्वारा आर्मर्ड केबल लगाने से मना कर दिया गया। जिसके कारण आर्मर्ड केबल नहीं लगाया जा सका।		
गवाहों के नाम एवं मोबाइल नं0 तथा हस्ताक्षर	नाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
	1-		
यदि शिकायत इनमें से किसी श्रेणी का है तो टिक करें (जो लागू न हो उसे काट दें)	1-न्यायालय से सम्बन्धित (x) 2-RTI से आच्छादित (x) 3-वृहद योग (x) 4-अन्य विशेष श्रेणी (संक्षिप्त में लिखें)		
समीक्षक/अग्रसारित करने वाले अधिकारी का संतुष्टि/अम्युक्ति (स्पष्ट वर्णित करें कि निस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट है/निस्तारण IGRS में सम्भव नहीं है)			
एक स्तर उच्चा अधिकारी की अम्युक्ति/जॉच आख्या ऊर्जा विभाग	मेरे इं0 मनीष कुमार श्रीवास्तव (फीडबैक लेने वाले अधिकारी का नाम) द्वारा दिनांक 06.06.2025 को, समय.....बजे आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 60000250111659 द्वारा प्रदत्त मोबाइल नं0.....पर फीडबैक प्राप्त किया गया। मेरे द्वारा दूरभाष संख्या.....से फोन किया गया तथा यह पाया गया कि आवेदक संतुष्ट/असंतुष्ट (जो लागू न हो उसे काट दें) है। असंतुष्टि की दशा में मेरे द्वारा निस्तारणकर्ता अधिकारी से वार्ता कर यह पाया गया (जो लागू न हो उसे काट दें) 1-निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अतः सम्बन्धित अधिकारी की गुणवत्ता सुधार कर पुनः समुचित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अथवा 2-आवेदक द्वारा की जा रही अपेक्षा विधिसम्मत पूर्ण होने योग्य नहीं है अतः निस्तारण की गुणवत्ता की प्रति में आवश्यक हूँ, अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।  हस्ताक्षर		